Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 25/December/2023 IJRAW: 2024; 3(1):181-184 Accepted: 22/January/2024

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा का विकास

[*1]डॉ. चंचल कुमार द्विवेदी

[*1]Assistant Professor, Department of Education, Swami Vivekanand Mahavidyalay, Jhansi, Uttar Pradesh, India.

सारांश

NEP 2020 एक व्यापक नीति है जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलना है। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए NEP 2020 के उपाय महत्वाकांक्षी और व्यापक है । यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो वह संभावित रूप से भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यक शर्त दक्षतापूर्ण शिक्षण कार्य है, शिक्षक की दक्षता का प्रभाव सम्पूर्ण समाज के निर्माण में निर्णायक होता है। राष्ट्र निर्माण में गुणात्मक उच्च शिक्षा अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। अतएव उच्च शिक्षा में शिक्षण दक्षता के द्वारा ही गुणवत्ता के मानकों को संगठित किया जा सकता है। अतः राष्ट्रहित के सन्दर्भ में शैक्षिक गुणात्मक उन्नयन हेतु उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की शिक्षण दक्षता की वर्तमान स्थिति का अवलोकन समीचीन प्रतीत होता है। शिक्षा अध्ययन विषय के साथ विकास की प्रक्रिया भी है। अध्ययन विषय तथा विकास की प्रक्रिया के क्षेत्र शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन क्रियाओं को समझाना तथा कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त करना है परन्तु अभी भी शिक्षा शास्त्र के अन्तर्गत शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का इतिहास तथा शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन एवं अध्यापन किया जा रहा है जिसका कक्षा शिक्षण में सीधा उपयोग नहीं है। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को शिक्षण तथा अनुदेशन का ज्ञान तथा बोध कराया जाये तथा अभ्यास का अवसर दिया जाए तभी प्रभावशाली शिक्षक तैयार किये जा सकते हैं। अध्यापन के प्रदर्शन को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाय ताकि भावी शिक्षक शिक्षण कला में निपुण हो सके तभी जाकर वह विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास कर सकेंगे।

मुख्य शब्द: NEP 2020, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों की शिक्षक दक्षता, राष्ट्र निर्माण।

प्रस्तावना

NEP 2020 का विजन: शिक्षक शिक्षा का एक आशाजनक भविष्य सार-संक्षेप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत सरकार विभिन्न नीतियों और समितियों के गठन द्वारा शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता व मानक में सुधार हेतु प्रतिबद्ध है। कोठारी आयोग (1964-66) के अनुसार "शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्र के विकास में इसके योगदान क प्रभावित करने वाले कारकों में हमारे शिक्षकों की गुणवत्ता, क्षमता और चरित्र निःसंदेह सबसे महत्वपूर्ण है"। ये दृष्टिकोण आज भी सच है और आज भी हमारे राष्ट्र का भविष्य हमारे शिक्षकों के हाथों में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा 34 वर्ष बाद (1986ई.) नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई, जो भारत के शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से सुधारना और विद्यार्थीयों को एक बेहतर और समर्पित शिक्षा प्रदान करना है। इस नई शिक्षा नीति में अध्यापकों की भूमिका और उनकी (शिक्षक की) शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित किया गया है। अतीत से ही शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया में हृदय समान स्थान प्राप्त है। परिवर्तनशील शिक्षा व्यवस्था के इस दौर में "शिक्षक" परिवर्तन के केंद्र में हैं। वर्तमान एनईपी 2020 शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन लेकर आई है, जो शिक्षक शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ व पारदर्शी बनाएगी। एनईपी 2020 भारतीय शिक्षकों के बीच शिक्षण गुणवत्ता और प्रेरणा की कमी के लिए जिम्मेदार शिक्षक शिक्षा, भर्ती, तैनाती और सेवा शर्तों की निराशाजनक स्थिति को मानती है। एनईपी 2020 में शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाल संस्थानों को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। जिससे शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। एनईपी 2020 यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान उच्चतम गुणवत्तापूर्ण सामग्री,शिक्षाशास्त्र और प्रौद्योगिकी एकीकृत शिक्षण अभ्यास उपलब्ध कराई जाए। इसका विजन मौजूदा शिक्षक शिक्षा को बहु-विषयक स्थान में स्थापित करना है। जिससे उन्हें (शिक्षक को) उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, शिक्षाशास्त्र, और अनुसंधान का मिश्रण प्राप्त हो सके। इस पेपर में एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा से संबंधित नए दिशा निर्देशों को रेखांकित किया गया है। साथ ही निकट भविष्य में शिक्षक शिक्षा से संबंधित नए पाठ्यक्रमों और उसके पुनर्गठन तथा स्नातक पाठयक्रम के साथ एकीकृत शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की संरचना को प्रतिबिंबित किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय

***Corresponding Author:** डॉ. चंचल कुमार द्विवेदी

एकता और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में भारत की निरंतर प्रगति और वैश्विक मंच पर नेतृत्व की कुंजी है। इसी बात को ध्यान में रखकर, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। यह नीति ग्रामीण और शहरी दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह नई नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का स्थान लेती है जिसका लक्ष्य 2030 तक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर भारत की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करके देश के परिवर्तन में सीधे योगदान दे।

नई शिक्षा नीति की विशेषताएं

नई शिक्षा नीति में तय किया गया है कि राज्य नई शिक्षा नीति में जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 पैटर्न फॉलो किया जाएगा, इसमें 12 साल की स्कूल शिक्षा होगी और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी।
- नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी।
- छठी कक्षा से बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी।
- नई शिक्षा नीति आने के बाद छात्र कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और फिजिक्स के साथ अकाउंट या फिर आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं।
- छात्रों को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाना भी शामिल है।
- सभी स्कूल डिजिटल इक्विटी किए जाएंगे।
- वर्चुअल लैब डेवलप की जाएंगी।
- ग्रेजुएशन में 3 या 4 साल लगता है, जिसमें एग्जिट ऑप्शन होंगे। यदि स्टूडेंट्स ने एक साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता

ज्ञात हो कि 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने तक, भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई खामियां थीं। इसमें अवधारणाओं को समझने की तुलना में याद रखने को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही, कई बोर्डों की मौजूदगी भी एक बड़ा मुद्दा था। प्रत्येक बोर्ड में अलग-अलग कौशल के लिए अलग-अलग सीखने की विधियाँ थीं, और फिर प्रत्येक छात्र को एक ही मान्य बोर्ड की परीक्षा देनी होती थी। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में, पारंपरिक विषयों को सीखने पर अधिक जोर दिया गया था और व्यावसायिक कौशल विकसित करने पर कम। नई शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा प्रणाली की सभी कमियों और सीमाओं का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा, नीति का उद्देश्य व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच अंतर को पाटना है।

नई शिक्षा नीति 2020 की प्रगति की निगरानी पांच विषयों के माध्यम से की जाएगी, अर्थात: शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, उद्योग-संस्थान सहयोग, शैक्षणिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीयकरण, और भारतीय ज्ञान प्रणाली। बता दें कि कर्नाटक 2021 में नई शिक्षा नीति, 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।

भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है, इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु शोध कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए और नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु शिक्षक या गुरु रहा है, जिसके बिना जीवन का अर्थ समझ पाना संभव नहीं है। गुरु को ईश्वर की श्रेणी में रखा गया है जैसे-

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः।
गुरु साक्षात्परमब्रह्म तस्मैश्री गुरुवे नमः।।

भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रह कर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करके, उन्हें अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा देकर कृतकृत्य होता था। आज भी इसका महत्व कम नहीं है। गुरु की महिमा को महाकवि संत तुलसीदास ने अपने महाकाव्य 'रामचरितमानस' में गुरु वंदना से की है। जैसे-

'बदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।'

ऋषि काल से ही देश में गुरु के महत्व को कुछ इस तरह से दर्शाया गया है। शास्त्रों में 'गु' का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान और 'रु' का अर्थ किया गया है, उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर ज्ञानांजनशलाका से निवारण कर देता है। अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु को ईश्वर के समान समझा गया है। ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है-

"अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।।"

वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक के महत्व पर सर्वाधिक जोर देती है। जिसमें उल्लेख है कि प्रत्येक छात्र का विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसके विकास के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को इनकी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। जिससे की छात्रों की अकादमिक और अन्य क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके। उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश की ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं, जो व्यक्तियों और समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकते है। इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकताएं होनी चाहिए। शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं तथा छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर हमारे समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पूर्ण योगदान के कारण मेधावी छात्र और योग्य शिक्षक हमेशा समाज में सम्मानित सदस्य रहे हैं। विद्वान ही हमेशा अच्छे शिक्षक बनते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार अच्छा शिक्षक छात्रों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक की शिक्षा गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। उक्त तथ्यों पर ध्यान देने से ही शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के उत्साह को वांछित मानक प्राप्त होगा।

छात्रों को भी प्राचीन सभ्यता के अनुसार शिक्षकों को उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर सम्मान के भाव को पुनर्जीवित होगा। हमारे राष्ट्र को सर्वोत्तम राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षकों और छात्रों में प्रेरणा

और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे शिक्षण संस्थानों का अभाव सदियों से चला आ रहा है, जिससे वहां की युवा पीढ़ी अध्ययन अध्यापन में पीछे रह जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा बी.एड. पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे छात्रों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति आवंटित करने का प्रावधान रखा गया है। चार वर्षीय बी.एड. डिग्री सफलतापूर्वक करने के बाद स्थानीय क्षेत्रों में छात्रों (विशेषकर छात्राओं) को निश्चित रोजगार देने का प्रावधान भी शामिल है, जिससे कि यह विद्यार्थी स्थानीय क्षेत्रों के रोल मॉडल के रूप में और उच्चतर शिक्षकों के रूप में सेवा दे सकें।

उत्कृष्ट शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और विशेष तौर पर उस क्षेत्र में जहां शिक्षक की कमी पहले से ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को पढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल और उसके आसपास स्थानीय आवास का प्रावधान भी रखा गया है। शिक्षक का दायित्व है कि समुदाय के बीच संबंध बनाए रखें, जिससे छात्र को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके जो कि शिक्षक का बार-बार स्थानांतरण से संभव नहीं हो पाता है। अतः शिक्षक के स्थानान्तरण को शासन द्वारा अत्यावश्यक होने पर ही (कम से कम) करने की बात कही गई है। शिक्षक का चयन विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं से होना चाहिए, इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को और विकसित करने पर बल दिया गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक अभिन्न अंग होता है, इसके लिए सभी साक्षात्कारों को स्थानीय भाषा में करने से किसी भी व्यक्ति की दक्षता का सही आकलन किया जा सकता है। ऐसा करने से शिक्षक छात्रों की प्रचलित भाषा में बातचीत कर सकेंगे इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया है।

छात्रों का पूर्ण विकास केवल संबंधित विषय का अध्ययन करने से नहीं हो पाता है। पूर्ण विकास के लिए छात्रों को कला, शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में संभावित शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में भी जोर दिया गया है। आवश्यकतानुसार शिक्षकों की भर्ती में गुणवत्ता प्रोत्साहन भी किए जाने की बात है। विद्यालय के कार्यों के वातावरण और संस्कृतियों को आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य है, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों का अधिकतम स्तर पर विकास हो सके।

वातावरण और संस्कृतियों में परिवर्तन होने से शिक्षक, छात्र, अभिभावक, प्रधानाध्यापक और अन्य सहायक कर्मचारी के समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकेंगे। इन सब का एक ही लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की विशेष जरूरत पड़ती है जैसे कि भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटर उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकालय और खेल मनोरंजन के साधन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन सारी आवश्यक चीजों पर विशेष जोर दिया गया है। छोटे-छोटे स्कूलों, कॉलेजों को मिलाकर एक कॉन्प्लेक्स बनाकर शिक्षा देने का भी प्रयास काफी प्रभावशाली रहेगा। इससे छात्रों को बड़े समुदाय के साथ शिक्षण करने का मौका मिलेगा। शिक्षकों को आगे बढ़ाने और सीखने के लिए प्रभावी सामुदायिक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।

उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहुत ही संयुक्त दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ-साथ बेहतरीन तथ्यों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं, जनजातीय परंपराओं सहित के प्रति जागरूक रहें।

अध्यापक शिक्षा के लिए बहु-विषयक इनपुट के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्ता युक्त विषय वस्तु और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक, शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी बहु-विषयक विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहु-विषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहां उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें जो कि शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत इत्यादि और साहित्य के साथ-साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बीएड कार्यक्रम भी संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य है। हर किसी के लिए पी.एच.डी. धारक होना आवश्यक नहीं होगा लेकिन शिक्षण क्षेत्र में शोध के अनुभव को महत्ता प्रदान की जाएगी। सीधे-सीधे विद्यालय शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में जैसे कि मनोविज्ञान, बाल विकास, भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के साथ ही साथ विज्ञान शिक्षा, गणित, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा और भाषा शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित और नियुक्त करने का प्रावधान है, जिससे शिक्षकों की बहु-विषयी शिक्षा को और उनके अवधारणात्मक विकास को मजबूती प्रदान हो सके।

सभी नए पी.एच.डी. धारक चाहे वह किसी भी विषय में प्रवेश ले, ऐसा अपेक्षित होगा कि वह अपने डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा चुने गए पी.एच.डी. विषय से संबंधित प्रशिक्षण, शिक्षा, अध्यापन लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लें। डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा, क्योंकि संभव है कि इनमें से कई शोध विद्वान अपने चुने हुए विषयों के संकाय सदस्य या सार्वजनिक प्रतिनिधि/संचारक बनेंगे। पी.एच.डी. छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय होंगे। देशभर के विश्वविद्यालयों में संचालित पी.एच.डी. कार्यक्रमों का इस उद्देश्य के लिए पुनरून्मुखीकरण किया जाएगा।

कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों के लिए सतत व्यवसायिक विकास प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलुओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जारी रहेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका सुदृढ़ीकरण और विस्तार होगा। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं दीक्षा जैसे प्रौद्योगिक प्लेटफार्म के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके।

नई शिक्षा नीति ने बहुविषयक संस्थानों में चार-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा लाने पर पर्याप्त जोर दिया है। इसमें जिस बहु-विषयात्मक शिक्षा एवं नए स्कूली ढांचे की परिकल्पना की गई है

उसके लिए ऐसे प्रभावी और शोध उन्मुखी अध्यापकों की जरूरत है जो विषय-वस्तु के साथ-साथ शिक्षाशास्त्र में भी पारंगत हों।

देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अपेक्षाओं के अनुरूप एक गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की गई है। अब एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की यह जिम्मेदारी है कि वह एक गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम देश के समक्ष प्रस्तुत करे। ध्यान रहे कि यह अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने वाली नियामक संस्था है। उम्मीद है कि यह संस्था नई शिक्षा नीति की अपेक्षाओं के संग न्याय करेगी।

अध्यापक शिक्षा क्या है? क्या अध्यापक जन्मजात होते हैं या उन्हें किसी प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार किया जाता है? वैदिक काल में अध्यापकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, परंतु आज भारत में जो अध्यापक शिक्षा का रूप है, हम उसकी जड़ें वैदिक काल से आकार लेते हुए देख सकते हैं। उस समय समाज में अध्यापक रूपी 'गुरु' का स्थान सर्वोच्च माना जाता था। वैदिक काल में शिक्षण का संबंध वेदों के शिक्षण से था और शिक्षा की पूरी प्रणाली मौखिक हुआ करती थी।

एक शिष्य को भावी अध्यापक के रूप में विकसित करने के लिए चयन और तैयारी बहुत गंभीरता के साथ की जाती थी। वैदिक काल में अध्यापक और शिष्यों का संबंध पिता-पुत्र के समतुल्य माना जाता था, जहां दोनों एक-दूसरे के प्रति सम्मान और देख-भाल का भाव रखते थे। चूंकि यहां अध्यापक शिक्षा की कोई औपचारिक व्यवस्था मौजूद नहीं थी तो शिष्य उन्हीं पद्धतियों का उपयोग करते थे, जो उन्हें अध्यापक द्वारा सिखाए जाते थे। हालांकि वे समय के साथ उन पद्धतियों को समयानुकूल ढाला करते थे।

शिक्षण कौशल सीखने के लिए जिन अन्य पद्धतियों को अभ्यास में लाया गया, वे अनुकरणीय थीं। इस व्यवस्था में अध्यापकों को जिस तरीके से तैयार किया जाता था, हम उसे वर्तमान के मेंटरिंग माडल के रूप में देख सकते हैं। वैदिक काल में शिक्षकों की अनुपस्थिति के दौरान सामान्य रूप से कक्षा में अध्यापन के लिए बौद्धिक रूप से तेज एवं कुशाग्र छात्रों को कर्तव्य सौंपे जाते थे, ताकि अध्यापक की अनुपस्थिति में वे अपनी क्षमताओं और सीखी गई पद्धतियों को प्रयोग में ला सकें।

वैदिक युग के अंत तक आते-आते अध्यापकों को तैयार करने की इस प्रणाली में वैदिक साहित्य से अधिक समावेशी पाठ्यक्रम ने स्थान ले लिया, जिसमें दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य (रामायण और महाभारत), व्याकरण, खगोलविद्या, मूर्तिकला, वैद्यक, पोतनिर्माण कला शामिल किए गए। हालांकि तब भी शिष्यों को अध्यापक के रूप में ढालने के लिए कोई औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। जो शिष्य इन विषयों/कौशलों में निपुणता प्राप्त कर लेते थे, उनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी।

प्राचीन काल से मध्य काल तक कमोबेश यही माडल प्रचलित रहा। ब्रिटिश काल में अध्यापकों के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए। इस क्रम में कई सारे आयोगों, समितियों के रिपोर्ट को आधार बनाया गया, जिसमें 1854 के वुड्स नीतिपत्र का उल्लेखनीय योगदान रहा, जिसने शिक्षकों को तैयार करने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था को जन्म दिया। भारत में 1932 तक 18 विश्वविद्यालयों में से 13 में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। यहां से देश में औपचारिक अध्यापक शिक्षा व्यापक रूप लेने लगी।

अध्यापक शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक मील का पत्थर प्रतीत होती है, जो वर्तमान अध्यापक शिक्षा में सुधार और शिक्षण को आकार देने के लिए सभी आवश्यक कारकों का समावेश करती है। यह अपने बहुआयामी दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा को पुनर्जीवित करने को समर्पित है। नई शिक्षा नीति ने बहुविषयक संस्थानों में चार-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा लाने पर पर्याप्त जोर दिया है।

इसमें जिस बहु-विषयात्मक शिक्षा एवं नए स्कूली ढांचे की परिकल्पना की गई है, उसके लिए ऐसे प्रभावी और शोध उन्मुखी अध्यापकों की जरूरत है, जो अपनी विषय-वस्तु के साथ-साथ शिक्षाशास्त्र में भी पारंगत हों। यह शिक्षा नीति भ्रष्ट और गैर-जिम्मेदार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के उपचार के लिए सख्त कार्रवाई करने का खाका भी प्रस्तुत करती है। एकीकृत शिक्षक शिक्षा एक ऐसे व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रम को महत्व देती है, जो विद्यार्थी-अध्यापकों को समुदाय की अवधारणाओं से जोड़ सके। विद्यालयों एवं समुदायों में जाकर कार्य करना और समाज उपयोगी एवं राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देना इस नीति का एक महत्वपूर्ण सुझाव है।

उम्मीद है कि एकीकृत शिक्षक शिक्षा का यह पाठ्यक्रम मूल्य आधारित एवं युगों से विद्यमान भारतीय ज्ञान व्यवस्था, व्यावहारिक अनुप्रयोग, तकनीकी और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप भावी पीढ़ी के लिए अध्यापकों को तैयार करने और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएगा।

इस प्रकार यह परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य यह है कि अच्छे मनुष्यों का विकास करना जो कि तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार जैसी भावनाओं का समावेश हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें ताकि भारत पुनः विश्व-गुरु का दर्जा हासिल कर मानवता के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. अध्यापक शिक्षा-एन.आर. सक्सेना, बी.के. मिश्रा, आर.के. मोहन्ती-आर. लाल डिपों।
2. अध्यापक शिक्षा-अमृत सेन-इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली।
3. अध्यापक शिक्षा-आर.एल.चौपड़ा-स्वाति पब्लिकेशन
4. नैतिक शिक्षा शिक्षण-के.सी. मलैया-आर.एस.ए. इन्टरनेशनल आगरा।
5. अध्यापक शिक्षा-डॉ. जी.सी. भट्टाचार्य-विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
6. अध्यापक शिक्षा-एन.आर. सक्सेना, बी.के. मिश्रा, आर.के. मोहन्ती-आर. लाल डिपों।
7. NEP 2020 का विजन-शिक्षक शिक्षा का एक आशाजनक भविष्य-डॉ.रुबीना और मिनाजुल्ला मसीह
8. Diksha-एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग-श्रीमती सोनाली कुमारी